

S.D.O. Reni
19-2-21 कासीन अधिकारी महोदय प्रेषा/अवकाश घर
दिनांक 7-5-21 को पेश हो।
रीडर

21/2
21
आज यह पत्रावली संप्रेषण से राज्य सरकार के निर्देशों की
बालना में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत (21/2/21).....
में दिनांक 21/2/21 को पेश होने वाले तलब होकर
पेश हुई। पक्षकारान् को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत
ग्राम पंचायत (21/2/21) में उपस्थित होने बाबत नोटिस
जारी हो। पत्रावली दिनांक 21/2/21 को कैम्प कोर्ट/
राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत (21/2/21) पेश हों।

उपरबण्ड अधिकारी
रेणी जिला अलवर

09/14
21
आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत
में पेश हुई। पक्षकारान् में आपसी राजीनामा व सहमति
नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका।
अतः पत्रावली न्यायालय में ही दिनांक 08-02-21
को पेश हो।

शासन गांव के संग अभियान 2021

उपरबण्ड अधिकारी
रेणी जिला अलवर

08/22 अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित
किया दिनांक 06/22 को पेश हो।

रीडर

06/22 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी
वस्तील अनुपस्थित। प्रालेवाडी एवं
प्रालेवाडी वस्तील अनुपस्थित। भूकपाड

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

आदम हाजरी एवं अदम पेंखी के
खारिज हो चुका है। मुल्काद का
निलगण हो जाने से शार्किना पत्र
212 RT Act का कोई कॉन्ट्रिब्यूशन
नहीं रहता है।

हां, शार्किना पत्र 212 RT Act
की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। फ्रावली
फैसल मुम्बार होकर रजिस्ट्रार से रजम
की जावे। सिंगल मुल्काद है।

300